

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-1(ए)/1/2017/ई/चार,
प्रति

भोपाल, दिनांक 7 /04/2017

श्री प्रदीप कुमार यावलकर,
सहायक संचालक
संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा
इंदौर (म.प्र.)।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बावत्।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-1(ए)/1/2017/ई/चार, दिनांक
27.03.2017

-----0-----

संदर्भित आदेश द्वारा आपको सहायक संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर से वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, रतलाम में पदस्थ किया गया है। परन्तु आपके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 07 /04/2017 अपरान्ह से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(विसय कठाने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 7 /04/2017

पृ.क्रं. एफ-1(ए)/1/2017/ई/चार

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय,
 2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
 3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल,
 4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5(ए)/10/2016/ई/चार,
प्रति

भोपाल, दिनांक 7 /04/2017

श्री अशफाक परवेज कुरैशी,
जिला कोषालय अधिकारी
बैतूल (म.प्र.)।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बावत्।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/10/2016/ई/चार, दिनांक 24.03.2017

-----0-----

संदर्भित आदेश द्वारा आपको जिला कोषालय अधिकारी बैतूल से वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर पालिक निगम, कटनी में पदस्थ किया गया है। परन्तु आपके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 07/04/2017 अपरान्ह से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(विजय कठाने)


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 7 /04/2017

पृ.क्रं. एफ-5(ए)/10/2016/ई/चार

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय,
 2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
 3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल,
 4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग